संख्या–2375 / 1–10–2008–12(75) / 2008

प्रेषक,

जी0 के0 टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
ललितपुर।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ दिनांक 8 मई, 2008

विषयः वर्ष 2007–08 में सूखे से प्रभावित लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न कृषकों को कृषि निवेश अनुदान वितरण हेतु स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–695 / 3–सी0आर0ए0–कृषि नि0 / 2007–08, दिनांक 11 अप्रैल, 2008 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2007–08 में सूखाग्रस्त घोषित जनपद ललितपुर में सूखे से प्रभावित लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न कृषकों की 50 प्रतिशत या इससे अधिक फसल क्षति लगातार दूसरे वर्ष (वर्षानुवर्ष) होने की दशा में कृषि निवेश अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करने के लिए श्री राज्यपाल महोदय रू0 1,37,43,805 / – (रूपये एक करोड़ सैंतीस लाख तैंतालिस हजार आठ सौ पांच मात्र) स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03–राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. आपदा राहत निधि से स्वीकृत लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न कृषकों को कृषि निवेश अनुदान वितरण की धनराशि शासनादेश संख्या–जी.आई.–134 / 1–11–2007–46 / 97, दिनांक 31 जुलाई, 2007 में इंगित दरों के अनुसार तत्काल व्यय की जायेगी। यह धनराशि बिना बोये हुए क्षेत्र अथवा परती भूमि के लिए कदापि न व्यय की जाय। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों / शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। शासनादेश संख्या–4815 / 1–10–2007– 14(45) / 2003, दिनांक 6 दिसम्बर, 2007 के अनुसार दैवी आपदा की सभी मदों में दी जाने वाली रू0 1000 / – से कम की धनराशि का वितरण बियरर चेक के माध्यम से तथा रू0 1000 / – या इससे अधिक की धनराशि का वितरण एकाउन्टपेयी चेक के माध्यम से किया जाय।

4. सूखे से प्रभावित लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न कृषकों को कृषि निवेश अनुदान वितरण करने से पूर्व रिलीफ खतौनी अनिवार्य रूप से तैयार करायी जाय तथा जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि तैयार की गई रिलीफ खतौनी पात्र लाभार्थियों के आधार पर ही बनायी गई है।

5. उक्त स्वीकृत धनराशि केवल वित्तीय वर्ष 2007–08 में सूखे से प्रभावित लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न कृषकों को कृषि निवेश अनुदान वितरण के निमित्त व्यय की जायेगी। इससे अन्य दायित्वों का निर्वहन कदापि नहीं किया जायेगा।

6. कृषि निवेश अनुदान का वितरण गांव में विशेष कैम्प लगाकर किया जाय। कैम्प का कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित कर इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाय ताकि कृषक लाभार्थी पूरी संख्या में कैम्प में उपस्थित हो सकें। कृषि निवेश अनुदान सम्बन्धी चेक का वितरण पर्यवेक्षीय अधिकारियों एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाय। उक्त के अतिरिक्त यह भी प्रयास किया जाय कि राहत वितरण के कार्यक्रमों में यथा संभव जनपद के मा0 प्रभारी मंत्री, स्थानीय मंत्री भी सुविधानुसार शामिल हो सकें। धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति के पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाय। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाय और ग्रामसभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाय।

7. जिलाधिकारी <u>प्रत्येक ग्राम के कैम्प के लिए एक पर्यवेक्षीय अधिकारी</u> (सू–लेख निरीक्षक, सहायक विकास अधिकारी आदि) की तैनाती करने के साथ–साथ राहत वितरण कार्य पर आकस्मिक निरीक्षण द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण रखने हेतु जनपद या तहसील स्तरीय अधिकारी की भी तैनाती करेंगे, जो अपनी संक्षिप्त आख्या जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। जिलाधिकारी उक्त आख्या की प्रति, अपनी संस्तुति तथा वितरित धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करायेंगे। <u>कृषि निवेश अनुदान की धनराशि वितरित न होने की स्थिति में शासन को एक माह में अनिवार्य रूप से समर्पित कर दिया जाय।</u>

8. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आंवटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार विभागों को धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को प्रत्येक माह की पांच तारीख तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

9. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अंत में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार ..सिक व्यय–विवरण शास..देश संख्या–1693/1–11–2005–रा0–11 दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय।

10. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

11. दैवी आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाए तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।

12. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(जी0 के0 टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव।

संख्या –2375(1) / 1–10–2008–12(75) / 2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा) / महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, झाँसी।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, ललितपुर।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग –5
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी / लेखाकार राजस्व अनुभाग–10 / राजस्व अनुभाग –6 / 11 / वेबसाइट के उपयोग हेतु।
8. चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जी0 के0 टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव।